रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERD NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 1988/पौष 15, 1909
No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 1988/PAUSA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1987

अधिसूचना

का.आ. 17(अ)—एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, श्री मुकंद लाल बिन्द्रा (जिनकी मृत्यु हो चुकी है) के स्थान पर श्री श्री कृष्ण शर्मा को चुना है।

[एफ. 5(1)/79-एम.सी. पार्ट-1]

जनक जुनेजा, सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 29th December, 1987

NOTIFICATION

S. O. 17 (E).—It is hereby notified that under Clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Municipal Corporation of Delhi has elected Shri Sri Krishan Sharma in place of Shri Mukand Lal Bindra (since expired) to serve as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. 5 (1)/79-M. C. Pt I.]

JANAK JUNEJA, Secy. Delhi Development Authority.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988